प्रेषक,

अध्यक्ष, नीलामी समिति/
अपर जनपद न्यायधीश
जनपद न्यायालय, श्रावस्ती।

सेवा में,

विशेष कार्याधिकारी/रजिस्ट्रार (कंम्प्यूटर),
माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

द्वारा,

माननीय जनपद न्यायाधीश,
श्रावस्ती।

पत्रांक- 98 /2024 दिनांक- 12-06.2024

महोदय,

सादर अवगत कराना जाना है कि जनपद न्यायालय श्रावस्ती में वाहन पार्किंग स्टैंड की नीलामी दिनांक 28.06.2024 को की जानी है इस नीलामी प्रचार प्रसार हेतु विज्ञप्ति का प्रकाशन का माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की वेबसाइट पर किया जाना है।

अत: आपसे अनुरोध है कि उक्त विज्ञप्ति को माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की वेबसाइट पर अपलोड कराये जाने की कृपा करें।

Forwarded
12.06.24
District Judge
Shravasti

भवदीय
12/06/24
(अमित कुमार प्रजापति)
अध्यक्ष, नीलामी समिति/
अपर जनपद न्यायधीश
जनपद न्यायालय, श्रावस्ती।

कार्यालय नजारत अनुभाग, जनपद न्यायालय, श्रावस्ती।

विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता कि जनपद न्यायालय, श्रावस्ती परिसर के गेट न० 01 के निकट स्थित खाली पड़ी भूमि को वाहन पार्किंग के रुप में नीलाम किये जाने हेतु सीलबन्द लिफाफे में निविदा आमंत्रित की जाती है। नीलामी मे भाग लेने हेतु इच्छुक व्यक्ति कैशियर से आवेदन फार्म निशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। आवेदकगण से यह अपेक्षित है कि वे नीलामी हेतु धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट जो जनपद न्यायाधीश, श्रावस्ती के पक्ष में देय होगा अथवा नकद धनराशि निर्धारित फार्म के साथ संलग्न करते हुए सीलबंद लिफाफे में निविदा दिनांक 27.06.2024 को सांय 04 बजे तक जमा कर दिनांक 28.06.2024 को सायं 04.30 बजे नीलामी मे सम्मिलित हो सकते हैं।

दिनांक 28.06.2024 को सायंकाल 4.30 बजे जनपद न्यायालय, श्रावस्ती के केन्द्रीय सभागार में नीलामी समिति के अध्यक्ष श्री अमित कुमार प्रजापति अपर सत्र न्यायाधीश श्रावस्ती की अध्यक्षता में नीलामी समिति के समक्ष की जायेगी।

उक्त वाहन पार्किंग स्टैण्ड वित्तीय वर्ष 2024-25 में जुलाई 2024 से मार्च 2025 की नीलामी की धरोहर राशि व न्युनतम नीलामी राशि का विवरण निम्न प्रकार से है-

क्रम सं०	स्थल	धरोहर धनराशि	वित्तीय वर्ष 2024-25 के माह जुलाई 2024 से मार्च 2025 हेतु निर्धारित न्यूनतम धनराशि
1	वाहन पार्किंग स्टैण्ड	रु० 25,000/-	रु० 1,87,500/-

नीलामी की शर्ते व नियम निम्न प्रकार से होगें-

01- ठेके की अवधि वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु दिनांक 01.07.2024 से दिनांक 31.03.2025 तक के लिए होगी।

02- नीलामी मे भाग लेने के इच्छुक व्यक्ति कैशियर से आवेदन फार्म निशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। आवेदकगण से यह अपेक्षित है कि वे नीलामी हेतु धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट जो जनपद न्यायाधीश, श्रावस्ती के पक्ष में देय होगा अथवा नकद धनराशि निर्धारित फार्म के साथ संलग्न करते हुए सीलबंद निविदा दिनांक 27.06.2024 को सांय 04 बजे तक जमा कर दिनांक 28.06.2024 को सायं 04.30 बजे नीलामी मे सम्मिलित हो सकते हैं।

03- नीलामी में सफल ठेकेदार बिजली, पानी तथा अन्य सभी व्यवस्थाएं स्वयं करेगें।

04- ठेके से संबंधित किसी भी विवाद पर जिला न्यायाधीश महोदय का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा।

05- नीलामी ठेका पक्ष मे होने पर ठेकेदार को नियमानुसार 100 रूपये के स्टाम्प पर ठेकानामा लिखना होगा, उसे इस संबंध मे माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा समय-समय पर पारित होने वाले आदेशों का पालन करना होगा।

06- ठेकेदार ऐसे दो व्यक्ति को जमानतदार के रूप में नाम पतामय आधार कार्ड साथ प्रस्तुत करेगा, जिससे ठेकेदार द्वारा धनराशि जमा न करने पर धनराशि वसूल की जायेगी।

07- प्रत्येक सफल बोलीदाता को ठेके की धनराशि का 25 प्रतिशत प्रथम किस्त के रूप मे तुरन्त जमा करना होगा तथा शेष धनराशि प्रत्येक त्रैमास के प्रथम सप्ताह मे जमा करनी होगी।

8- किसी व्यक्ति के पक्ष में नीलामी एक बार स्वीकार करने के उपरान्त निरस्त नही की जायेगी। यदि सफल ठेकेदार नीलामी की प्रथम त्रैमास की किस्त जमा करने के उपरान्त ठेका चला नहीं पाता है तो उसका ठेका निरस्त कर उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।

9- ठेका आवंटित होने के उपरान्त ठेकेदार वाहन पार्किंग स्टैण्ड चलाने हेतु आवंटित प्लाट पर ठेका अवधि दिनांक 31.03.2025 को पूर्ण होने पर ठेकेदार स्वयं अपना सामान ठेकेदार स्वयं के खर्चे पर उठालेंगे एवं भूमि का कब्जा प्रभारी अधिकारी नजारत अनुभाग को उसी अवस्था मे देंगे जिस अवस्था मे उसे प्रदान किया गया था।

10- सफल बोलीदाता की धरोहर राशि चतुर्थ त्रैमास की किस्त मे समायोजित की जायेगी।

11- आपराधिक व अवांछित प्रवृत्ति वाले, पूर्व मे ठेके की किस्त न जमा करने वाले व्यक्तियों- को जमानतीयों की बोली में भाग लेना वर्जित है। ऐसा कोई तथ्य संज्ञान में आने पर जनपद न्यायाधीश श्रावस्ती द्वारा किसी भी समय बिना नोटिस दिये ठेके को निरस्त किया जा सकता है।

12- प्रत्येक वाहन का पार्किंग स्टैण्ड में खड़े कराने का किराया ठेकेदार द्वारा नजारत अनुभाग को उपलब्ध कराना होगा एवं पार्किंग स्टैण्ड में प्रदर्शित करना होगा।

13- सफल ठेकेदार को ठेका स्वीकृत होने पर जितनी धनराशि का ठेका स्वीकृत हुआ है उतनी ही-धनराशि की स्वयं के नाम पर दर्ज चल-अचल सम्पत्ति के दस्तावेज की छायाप्रति नजारत अनुभाग में उपलब्ध करानी होगी।

केन्द्रीय नाजिर से अपेक्षा की जाती है कि नीलामी का व्यापक प्रचार प्रसार हेतु नीलामी की सूचना माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं जनपद न्यायालय, श्रावस्ती की वेबसाइट पर अपलोड करायें एवं जनसूचना अधिकारी को शासनादेश संख्या 562/उन्नीस -2-2007-1007/74 (टी०सी०) दिनांकित 04.07.2007 के आलोक में समस्त स्थानीय समाचार पत्रों में निशुल्क प्रकाशित कराये तथा नीलामी की सूचना जनपद न्यायालय के सूचना पट पर चस्पा करायें तथा जनपद के समस्त नगर पालिकाओं, जिलाधिकारी के नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा कराये।

उक्त ठेका नीलामी के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार कि जानकारी प्राप्त करने हेतु सूचना के प्रकाशन के उपरान्त नीलामी दिवस से एक दिन पूर्व किसी भी कार्य दिवस में 10 बजे से सांय 04 बजे तक नजारत अनुभाग जनपद न्यायालय, श्रावस्ती में सम्पर्क कर प्राप्त किया जा सकता है।

10/6/24

(अमित कुमार प्रजापति)
अध्यक्ष,
नीलामी समिति/
अपर सत्र न्यायाधीश
जनपद न्यायालय,श्रावस्ती